

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 रकबा 12.50 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001 है0 पर हरचन्द पुत्र प्रभातिलाल जाति मेघवाल निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुक्ता मकान बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल हरचन्द पुत्र प्रभातिलाल जाति मेघवाल निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582/12.50किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर पुक्ता मकान बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः हरचन्द पुत्र प्रभातिलाल जाति मेघवाल निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582/12.50 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुक्ता मकान को ध्वस्त करवाया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.02 का पचास गुणा 1रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2017-18 के रा. ले. के पृष्ठ संख्या 29 पर 1-2

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)